संख्याः 1767(1)8—3—2010—202विविध/2008

प्रेषक,

अरूण कुमार सिन्हा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग—3 **लखनऊ : दिनांक 02 जून, 2010**

विषयः उत्तर प्रदेश में हाईटेक टाउनशिप विकसित करने के लिए निजी पूंजी निवेश के प्रोत्साहन हेतु नीति के अन्तर्गत चयनित हाईटेक टाउनशिप में आने वाली ग्राम समाज/सार्वजनिक उपयोगिता की भूमि के पुनर्ग्रहण के उपरान्त पुनर्ग्रहीत भूमि विकासकर्ता को हस्तान्तरण हेतु प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को प्राधिकृत करने तथा डीड के मानक प्रारूप के निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 1767/8—3—10—202विविध/08, दिनांक 07.05.10 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2— इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के प्रथम प्रस्तर के चतुर्थ लाइन में अंकित ''ग्राम समाज/सार्वजनिक उपयोगिता'' के स्थान पर ''अधिग्रहित/ग्राम समाज/ सार्वजनिक उपयोगिता/सीलिंग'' प्रतिस्थापित किया जाता है। इसी प्रकार प्रश्नगत शासनादेश के साथ संलग्न लीज डीड के प्रियम्बिल के प्रथम पृष्ठ के 11वीं लाइन में अर्थात "………..... dated …………resumed Gram Sabha land admeasuring …………acres of village" के स्थान पर "………….dated ………… acquired/ceiling/resumed Gram Sabha land admeasuring …………acres of village" प्रतिस्थापित किया जाता है। उक्त शासनादेश की अवशेष व्यवस्थाएं यथावत लागू रहेगी।

3— अतः शासनादेश संख्या—1767/8—3—10—202विविध/08, दिनांक 07.05.10 उक्त सीमा तक संशोधित पढ़ा एवं समझा जाय। कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
ह0/—
अरूण कुमार सिन्हा
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मंत्रि मण्डलीय सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश।
10. महानिरीक्षक, निबन्धन एवं पंजीयन, उत्तर प्रदेश।
11. प्रबन्ध निदेशक, सहकारी आवास संघ, उत्तर प्रदेश।
12. समस्त मण्डलायुक्त उत्तर प्रदेश।
13. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
14. समस्त अध्यक्ष, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
15. समस्त नियंत्रक प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
16. समस्त भूमि अध्याप्ति अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
17. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
18. समस्त अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग।
19. अपर निदेशक (नियोजन), आवास बन्धु को इस निर्देश के साथ इसे आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने एवं उसे सर्वसम्बन्धितों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,
ह0/-
राम निरंजन
अनु सचिव